भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4106

(दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए)

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

4106. श्री मनोज तिवारीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय सिनेमा, क्षेत्रीय फिल्मों, स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं, उभरती प्रतिभाओं के साथ-साथ फीचर फिल्मों, लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों को बढ़ावा देने के लिए किसी नई राष्ट्रीय नीति या कार्ययोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति के अंतर्गत प्रस्तावित वित्तीय, संस्थागत और कार्यक्रम संबंधी सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास फिल्म निर्माण, फिल्म प्रशिक्षण, फिल्म वितरण, अंतर्राष्ट्रीय सह-निर्माण को बढ़ावा देने और भारत की सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न राज्यों के गुमनाम नायकों के जीवन और योगदान को दर्शाने वाली फिल्मों और वृत्तचित्रों के निर्माण को प्रोत्साहित करने और भारत के सशस्त्र बलों के समर्पण और बलिदान को उजागर करने वाले वृत्तचित्रों सहित देशभक्ति के विषयों को दर्शाने के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में एनएफडीसी के क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): सरकार फिल्मी सामग्री का विकास, संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को निधियां आवंटित करती हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का उद्देश्य फिल्म सामग्री के सृजन, नवाचार और प्रसार को बढ़ावा देना शामिल है।

यह स्कीम भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों के आयोजन और उनमें भागीदारी का समर्थन करती है। यह भारतीय सिनेमा की दृश्यता और वैश्विक पहुंच को बढ़ाने के लिए फिल्म निर्माताओं और फिल्म संबंधी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह भारत की फिल्म विरासत के संरक्षण, पुनर्स्थापन, डिजिटलीकरण और अभिलेखीकरण को भी बढ़ावा देती है।

फिल्म शूटिंग संबंधी अनुमतियों को इंडिया सिने हब के माध्यम से सुगम बनाया जाता है। यह राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा प्रबंधित सिंगल विंडो डिजिटल पोर्टल है। यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं को फिल्मांकन की अनुमतियां प्राप्त करने और देश भर में फिल्मांकन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। मंत्रालय फिल्म निर्माताओं और अन्य रचनात्मक पेशेवरों को फिल्म समारोहों, कार्यशालाओं, स्क्रीनिंग, मास्टरक्लास आदि के आयोजन और समर्थन के माध्यम से भी सहायता प्रदान करता है।
